आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

न्यायालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

नामांतरण अपील वाद सं0– 15/2015–16

असरफ खाँ– अपीलकर्त्ता

बनाम

अब्दुल हई खाँ वगैरह– विपक्षी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया उक्त वाद आवेदक असरफ खाँ पिता स्व0 खाजीम खाँ ग्राम सोनपुरवा, थाना+जिला– गढ़वा के नामांतरण वाद संख्या– 1721/2014–15 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील दर्ज की गई है।

वर्णित मामला अंचलाधिकारी गढ़वा के नामांतरण वाद संख्या– 1721/2014–15 से संबंधित है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि ग्राम– सोनपुरवा के खाता संख्या– 10 के अंतर्गत कुल रकबा– 7.49 एकड़ भूमि गत सर्वे में खतियानी रैयती है जो अजमत खाँ पिता रोजा खाँ के नाम से दर्ज है। खतियान रैयत की मृत्यु के बाद पुत्र खाजीम खाँ उत्तराधिकारी बने जो विषयवस्तु वाली भूमि के हक दखल कब्जे में आये तथा जमींदारी काल में मालगुजारी अदा करते रहे। इस प्रकार आवेदक को दखल कब्जे की भूमि प्राप्त है। खतियानी रैयती भूमि की खाता नं0– 10, ग्राम– सोनपुरवा की भूमि अपीलार्थी के पूर्वज के नाम रैयती दर्ज होने के उपरांत भी बिना कोई जानकारी नोटिस किये बिना अंचलाधिकारी, गढ़वा के द्वारा भूमि का नामांतरण अब्दुल हई खाँ एवं अन्य (विपक्षी) के नाम से कर दिया गया।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन मे (1) गत सर्वेक्षण काल का खतियान जो अजमत खां (आवेदक के पूर्वज) के नाम से होने संबंधित (2) बंटवारा वाद संख्या– 07/2001 में पारित आदेश एवं डिग्री आदेश की प्रति (3) रेन्ट सुट रसीद 229/1932–33 (4) क्षतिपूर्ति केस नं0– 655/1955–56 सरकारी मालगुजारी रसीद (5) बंटवारा अपील वाद संख्या– 23/2004 में पारित आदेश एवं डिग्री आदेश की प्रति (6) निबंधित विक्रीनामा संख्या– 4366 दिनांक– 03.06.1975 मोजरफ खां द्वारा सभी अशरफ खां के पक्ष में निष्पादित की छायाप्रति संलग्न किया है। प्रश्नगत

Scanned with CamScanner

खाता संख्या– 10 की भूमि कैडेस्ट्रल सर्वे में अजमत खां पिता रोजा खां (प्रथम पक्ष के पूर्वज) के नाम से रैयती भूमि दर्ज है खतियानी रैयत के वंशावली इस प्रकार है अजमत खां के पुत्र खजीम खां, खाजीम खां के तीन पुत्र मोजरफ खां, अजीज खां (प्रथम पक्ष) असरफ खां के तीन पुत्र शेर मोहम्मद खां, हमीद खां एवं रसीद खां खतियानधारक अजमत खां ने प्रश्नगत खाता प्लॉट की जमिन न तो विक्री किये है और ना ही उक्त जमींदार को मालगुजारी नही देने के अभाव में निलाम हुआ न ही फौदी फिरारी हुआ है। सर्वे रैयत अजमत खां अपने जीवन काल तक हक दखल कब्जे ने में रहे उनके मृत्यु के पश्चात उनका वारीसान अवतक हक दखल कब्जे में चले आ रहे है। लेकिन अहमद मुनीब खां ने षडयंत्र के तहत वादग्रस्त भूमि का मांग अपने नाम से करवा लिये। अधिवक्ता द्वारा बताया गया की जमिंदारी उन्नमूलन के समय जमींदार बाबु केदार नाथ सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूमि का रिर्टन खाजिम खां के नाम से क्षतिपूर्ति वाद संख्या– 655/55–56 द्वारा दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने द्वारा रखे गऐ पक्ष में बताया गया की उक्त मामले को लेकर अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय में दो बार धारा–44 के अंतर्गत कार्यवाही चला है जिसमें दिनांक– 09.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्व द्वितीय पक्ष (अब्दुल हई खान एवं अन्य) के द्वारा माननीय न्यायालय (In the court of sessions Judge Garhwa) के न्यायालय में Criminal Revision दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 30.04.2019 को आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के दावे को गलत बताया गया।

साथ ही प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्यार्थी के यह तथ्य को खारिज किया गया की जमींदारी काल में समय से लगान नहीं देने के कारण खतियानी रैयत की भूमि को तत्तकालिन जमींदार बाबु केदार नाथ सिंह के द्वारा कब्जे में लिया गया था। जिसका सटिफिकेट केस नं0– 229/1932–33 से तत्तकालिन जमींदार बाबु केदार नाथ सिंह को प्राप्त होने तथा भूमि बाबु केदार नाथ सिंह को होने संबंधित बातो को गलत तथा तथ्यहीन बताते हुए प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया की विपक्षी के द्वारा जिस सर्टीफिकेट केस नं0– 229/1932–33 की बात बताई जा रही है उसे उनके द्वारा अभिलेखागार पलामू से वाद का सत्यापित प्रतिलिपी निकासी की गई है, जिसमें पक्षकार कॉलम में राजा बहादूर, गिरवर प्रसाद नारायण सिंह बनाम घीनु उरांव है अर्थात उक्त वाद में न तो जमींदार बाबु केदार नाथ सिंह और ना ही वाद से संबंधित कोई रैयत (पक्ष/विपक्ष) शामील है। कथित सर्टीफिकेट केस के आधार

Scanned with CamScanner

पर सादा परवाना बन्दोबस्ती बनाम अहमद खाँ का आधार बनाकर प्रत्यार्थी के नाम नामांतरण आदेश से खतियानी रैयती भूमि की निलामी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 72, 73 में प्रावधान के अनुरूप निलामी संबंधी दस्तावेज प्रमाणित नही होता है। विपक्षी अहमद खाँ के नाम से जाली जमाबंदी बिना कोई आधार के खोलकर प्रत्यार्थी के पक्ष में बंटवारानामा एवं बिक्रीनामा नामांतरण बताया गया है, जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा खारिज योग्य बताया गया।

इस प्रकार प्रथम पक्ष के द्वारा अंचलाधिकारी, गढ़वा के नामांतरण वाद संख्या– 1721/2014–15 में पारित आदेश को खारिज योग्य बताते हुए कहा गया की विषयाधीन नामांतरण से खतियानी रैयती भूमि खतियानधारक को नही देकर किसी अन्य को नामांतरण किया गया जिसे खारिज योग्य बताया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने संबंध में पक्ष रखते हुए बताया गया की ग्राम सोनपुरवा के खाता नं0– 10 कुल रकबा– 7 एकड़ 49 डी0 भूमि अजमत खान पिता रोजा खान के नाम से गत सर्वे में रैयती दर्ज हुआ था खाता नं0– 44 ग्राम सोनपुरवा (गढ़वा) भी अजमत खाँ के नाम से रैयती दर्ज हुआ खाता नं0– 66 ग्राम सोनपुरवा थाना गढ़वा जिला– गढ़वा रोजा खान के नाम से दर्ज बताया गया। यह की अजमत खान (खतियान रैयत) समय से लगान नही दे सके तथा लगान बकाया हो जाने के कारण खाता संख्या– 10 की भूमि निलाम हो गया तथा जमींदार बाबु केदार नाथ सिंह उक्त भूमि को निलामी से प्राप्त कर लिये (भूमि तोजी नं0– 129 के अंतर्गत) जमींदार बाबु केदार नाथ सिंह ने कस्टमरी परवाना के द्वारा खाता नं0– 10 तालिका "क" की उक्त 7.49 एकड़ भूमि को अहमद खान पिता रोजा खान के साथ 15 फागुन को बन्दोबस्त कर दखल कब्जा दे दिया। तत्तकालिन जमींदार बाबु केदार नाथ सिंह के यहाँ अहमद खान का नाम भी दर्ज हो गया। अहमद खान उक्त सम्पूर्ण भूमि के हक दखल कब्जे में रहकर पूर्ण स्वामित्व के साथ उसका उपभोग करते रहे तथा मालगुजारी देकर रसीद कटाते रहे। बाबु केदार नाथ सिंह की जमींदारी कुछ समय के लिये वार्ड एण्ड इनकमवर्ड इस्टेट के देखरेख एवं व्यवस्था में चला गया अहमद खान वार्ड एण्ड इनकम्वर्ड इस्टेट के कार्यालय में मालगुजारी देकर रसीद प्राप्त करते रहे तथा जमीन के पूर्ण स्वामित्व में रहकर उस पर जोत–कोड़ करते रहे। वार्ड एण्ड इनकम्वर्ड इस्टेट के व्यवस्था से मुक्त होने के बाद भी अहमद खान उक्त भूमि का मालगुजारी जमींदार को देते रहे तथा रसीद प्राप्त करते रहे एवं जमीन के हक दखल कब्जे में लगातार रहे। मध्यवर्ती (जमींदारी) उन्मूलन के समय तत्तकालिन जमींदार ने रिर्टन भरा तथा उक्त खाता नं0– 10

Scanned with CamScanner

ग्राम सोनपुरवा के भूमि के लिए अहमद खान को रैयत दिखलाया अहमद खान की मृत्यू वर्ष 1965 में हुई उनके मृत्यु के बाद उनकी विधवा उनके पांच लड़के उक्त सम्पूर्ण भूमि के हक दखल कब्जे में एक साथ (टेनेट ईन कॉमन के रूप) दखल कब्जे में आये और उसका उपभोग करने लगे एवं मालगुजारी देकर रसीद प्राप्त करते रहे। साथ ही अहमद खान की विधवा तथा रजाक खान (अहमद के एक लड़के) की खान तथा मोइउदीन खॉ सभी मिलकर खाता संख्या– 10 की भूमि विक्री भी किये है। अहमद खान के वारिसान सारे सम्पति को आपस मे सहमती से नापी कराकर 2015 में बंटवारा कर लिए तथा अपने तख्ते के अनुसार अपना–अपना नामांतरण कर मांग अलग करने का आवेदन अंचल कार्यालय गढ़वा को दिये इस प्रकार सभी का मांग तख्ता के अनुसार नामांतरण वाद संख्या– 1721/2014–15 के द्वारा हुआ जो सही है तथा उक्त वाद के विरूद्व प्राप्त आवेदन खारिज योग्य बताया गया।

उभय पक्षो के द्वारा अपने–अपने पक्ष में दिये गए मौखिक ब्यान एवं लिखित ब्यान दिया गया संबंधित ग्राम सोनपुरवा अंचल गढ़वा की खाता 10 कुल रकवा– 7.49 एकड़ की भूमि गत सर्वे खतियान में रैयती खाते की भूमि है जिसके खतियानधारक अजमत खॉ पिता रोजा खान के नाम से दर्ज है, जिसमें प्रथम पक्ष असरफ खॉ एवं अन्य का पक्ष है कि हम सब खतियानधारक के वंशज/पौत्र है तथा उक्त भूमि का नामांतरण विपक्षी अब्दुल हई खॉ एवं अन्य के नाम से हुआ है, जो आवेदक के कोई गोतिया परिवार नही है विपक्षी द्वारा अवैध रूप से अंचल कार्यालय, गढ़वा में नामांतरण वाद संख्या– 1721/14–15 से प्रस्तावित भूमि का नामांतरण कराया गया है वही दूसरे पक्ष (विपक्षी) का कथन है कि भूमि खतियानी तथा प्रथम पक्ष के दादा का तो सर्वे काल में था परंतु समय से लगान नही देने के कारण तत्तकालिन जमिंदार बाबु केदार नाथ सिंह को भूमि प्राप्त हो गई थी। तथा जमिंदार के द्वारा विपक्षी के पूर्वज को दे दिया गया इस प्रकार विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि को अपने पुत्रों/परिवार मे बंटवारा कर निबंधित केवाला कर दिया गया तथा अंचलाधिकारी, गढ़वा के द्वारा बंटवारा एवं केवाला के आधार पर विपक्षी को उक्त भूमि का नामांतरण वाद संख्या– 1721/2014–15 से किया गया।

उभय पक्षो के द्वारा उपलब्ध कराये गऐ कागजात एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा दिनांक– 29.04.2017 एवं दिनांक– 09.03.2018 को पारित आदेश एवं अंचलाधिकारी गढ़वा के नामांतरण वाद संख्या– 1721/14–15 का अवलोकण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की वाद से संबंधित (खाता– 10 ग्राम

Scanned with CamScanner

सोनपुरवा) भूमि आवेदक के पूर्वजो की खतियानी रैयती भूमि है। खतियान रैयत से विपक्षी को भूमि की प्राप्ति से संबंधित नियम छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 72 & 73 Surrender of Land by Raiyat and abandonment of land by Raiyat - के अंतर्गत पूर्ण कार्रवाई नही हुई है। साथ ही अनुमण्डल दण्डाधिकारी गढ़वा के न्यायालय से विविध वाद संख्या– 30/2018 धारा–144 द0 प्र0 स0 में दिनांक– 09.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के द्वितीय पक्ष (अब्दुल हई खान एवं अन्य) के द्वारा Court of sessions Judge garhwa के न्यायालय में Criminal Revision No 59/2018 दायर किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन को खारिज किया गया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष का दावा सही प्रतीत नही होता है अतएव आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल धिकारी के नामांतरण वाद संख्या– 1721/14–15 को अपास्त किया जाता है। द्वितीय पक्ष को स्वत्व संबंधित कोई दावा हो तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, गढ़वा को भेजें। अंचलाधिकारी, गढ़वा उक्त आदेश का यथोचित कार्रवाई यथाशीघ्र वरना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को प्रदान करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/11/20

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

13/11/20

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner